



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25052026-272855  
CG-DL-E-25052026-272855

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2533]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 25, 2026/ज्येष्ठ 4, 1948

No. 2533]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 25, 2026/JYAISTHA 4, 1948

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मई, 2026

का.आ. 2625(अ).— केंद्रीय सरकार, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2026 (2026 का 6) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 26 मई, 2026 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम के निम्नलिखित उपबंध प्रवृत्त होंगे, अर्थात्: -

1. धारा 2 से 6 (दोनों शामिल);
2. धारा 8 से 33 (दोनों शामिल);
3. धारा 34 के खंड (क) के उपखंड (iii) और खंड (ख);
4. धारा 35 से 39 (दोनों शामिल);
5. धारा 41;
6. धारा 43 से 44 (दोनों शामिल);
7. धारा 46;
8. धारा 48 से 59 (दोनों शामिल);

9. धारा 61 से 66 (दोनों शामिल);
10. धारा 68;
11. धारा 69 का खंड (क);
12. धारा 70 का खंड (क);
13. धारा 70 के खंड (ख) के उपखंड (i) से उपखंड (xxvi) [धारा 70 के खंड (ख) के उपखंड (xx) के सिवाय]; और
14. धारा 72;

[फा. सं. दिवाला 30/8/2025- दिवाला -एमसीए]

अनीता शाह आकेल्ला, संयुक्त सचिव

### MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd May, 2026

**S.O. 2625(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Act, 2026 (6 of 2026), the Central Government hereby appoints the 26<sup>th</sup> day of May, 2026, as the date on which the following provisions of the said Act shall come into force, namely: –

1. sections 2 to 6 (both inclusive);
2. sections 8 to 33 (both inclusive);
3. sub-clause (iii) of clause (a) and clause (b) of section 34;
4. sections 35 to 39 (both inclusive);
5. section 41;
6. sections 43 to 44 (both inclusive);
7. section 46;
8. sections 48 to 59 (both inclusive);
9. sections 61 to 66 (both inclusive);
10. section 68;
11. clause (a) of section 69;
12. clause (a) of section 70;
13. sub-clause (i) to sub-clause (xxvi) of clause (b) of section 70 [Except sub-clause (xx) of clause (b) of section 70]; and
14. section 72.

[F. No. Insol-30/8/2025-Insolvency-MCA]

ANITA SHAH AKELLA, Jt. Secy.